Popular Front of India

+91 11 46526919
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

09 जुलाई 2021

दिल्ली हाईकोर्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन; नापसंदीदा, अस्वीकार्यः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

नई दिल्लीः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओ एम ए सलाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के संबंध में आवश्यक कदम उठाने हेतु दिए गए निर्देश को संदर्भ से बाहर, नापसंदीदा और अस्वीकार्य करार दिया है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड ने लंबे समय से काफी ज़्यादा राजनीतिक बहस छेड़ रखी है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक अधिकारों, विशेष रूप से अपने अलग कानूनों के उनके अधिकार से संबंधित मामला है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मुद्दे पर विचार किया है और अलग–अलग टिप्पणियां की हैं, लेकिन यूसीसी को लागू करने का निर्णायक फैसला कभी नहीं लिया गया। इस साल की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में धर्म से हटकर विरासत और उत्तराधिकार कानूनों पर केंद्र से जवाब मांगा था और इस मामले पर भी फैसला आना बाकी है।

भाजपा को छोड़कर विभिन्न राजनीतिक दल पर्सनल लॉज़ को खत्म करने के समर्थन में नहीं हैं जिससे यूसीसी की राह हमवार होती हो, यहां तक कि इससे पहले की बीजेपी सरकारों ने भी इस पर कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी और हिंदुत्व राजनीति में उसके सहयोगी समूहों के लिए, यह मुद्दा हमेशा से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करके बहुसंख्यक वर्ग का वोट हासिल करने का आसान हथियार रहा है। जब भी बीजेपी को किसी करीबी चुनावी हार की आशंका होती है, वह तुरंत समान नागरिक कानून की 'ज़रूरत' और मुस्लिम पर्सनल लॉ के 'खतरे' जैसे गड़े मुद्दे उखाड़कर ध्रुवीकरण की रणनीति पर अमल शुरू कर देती है। अब यूपी चुनावों को देखते हुए, जो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें फिर से इसकी सख्त ज़रूरत आ पड़ी है ताकि वे मोदी और योगी सरकारों की नाकामियों पर पर्दा डाल सकें।

यूसीसी का मतलब बुनियादी रूप से कुछ ऐसे सामान्य कानून हैं, जो विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को देश के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म से हटकर नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में, इन पहलुओं को अलग–अलग धर्मों के मानने वालों के लिए अलग–अलग कानून नियंत्रित करते हैं और यूसीसी का मकसद इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करना है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज धीरे–धीरे 'सजातीय' होता जा रहा है, और धर्म, समुदाय और जाति की 'पारंपरिक बाधाएं' खत्म हो रही हैं, और इन बदलती रिवायतों को देखते हुए, एक समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है। इस तर्क को बेतुका ही कहा जा सकता है

क्योंकि वर्तमान सत्ता व्यवस्था 'विजातीय' से कहीं बढ़कर एक ऐसा आधुनिक भारत बना रही है जो धर्म, समुदाय और जाति के आधार पर बुरी तरह से और गहराई तक बंटा हुआ है।

ओ एम ए सलाम ने कहा कि अदालत की टिप्पणियां अस्थाई और संदर्भ से बाहर हैं, क्योंकि मीना समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पक्षों से संबंधित जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के सामने पेश हुए मामले पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है।

डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली